उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या:-287/2023/सा0-306/23-01-2023-96सा0/2010

लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2023

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की धारा-75(बी) एवं 81(i) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल एतद्द्वारा श्री नरेन्द्र भूषण, तत्कालीन प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को उ0प्र0 राज्य सेतु निगम के निदेशक मण्डल में निदेशक एवं अध्यक्ष के पद से पदमुक्त किये जाने एवं उनके स्थान पर श्री अजय चौहान, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल में " निदेशक एवं अध्यक्ष" नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आशुतोष कुमार द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या-287/2023/सा0-306(1)/23-1-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग।
4- प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
7- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8- प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
10- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
11- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
12- नियुक्ति अनुभाग-1/सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 8
13- लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in